



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-17/2022-23

बबलू मुर्मू

बनाम्

सुरेन्द्र कु0 भगत एवं अन्य

—: आदेश :-

दिनांक 7/10/22

प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0-281/2007-08 (सुरेन्द्र कु0 भगत वगै0 बनाम् रैयान मौजा-महड़ा) के आदेश दिनांक-08.07.2022 एवं दिनांक-21.02.2022 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है एवं अपील वाद को अंगिकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

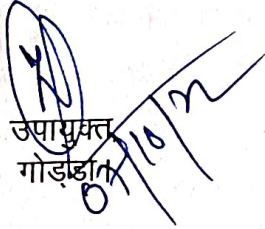
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्ता एवं उत्तरवादी पोड़ैयाहाट अंचल अन्तर्गत मौजा-महड़ा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया था। अपीलकर्ता ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-6 के उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदन दिया था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से प्रतिवेदन की माँग की गयी थी। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना ही चुनाव के आधार पर मौजा-महड़ा का प्रधान नियुक्त करने के लिए मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश निर्गत किया है एवं चुनाव के लिए दिनांक-14.07.2022 को तिथि निर्धारित किया। उक्त निर्धारित तिथि को 2/3 रैयत उपस्थित नहीं हुए। उनका आगे कथन है कि मौजा-महड़ा प्रधानी मौजा है एवं उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का उत्तराधिकारी के आधार पर किये गये दावा पर पहले विचार करना चाहिए था। उसके बाद ही अन्य दावा पर विचार करना चाहिए था। चूँकि अपीलकर्ता का दावा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वंशानुगत आधार पर अपीलकर्ता के दावा पर विचार करने के उपरांत ही संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा-महड़ा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के चुनाव हेतु

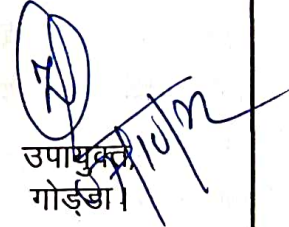
आदेश पारित किया जाना चाहिए था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्ता के उत्तराधिकारी के आधार पर किये गये दावा पर कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए अपीलकर्ता का अपील आवेदन अंगीकार करने योग्य है। उन्होंने अपील आवेदन को अंगीकार करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा-महड़ा नं०-31 के जमाबंदी सं०-01 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चन्द्र रोजा दखल खास मालिक किस्म प्रधानी जोत कहकर दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गत सर्वे सेटलमेंट के समय से ही मौजा-महड़ा खास चला आ रहा है। खास मौजा में संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची V के तहत आम स्वीकार्यता के बिन्दु पर मौजा के सौलह आना रैयतों से राय जानने के लिए आवश्यक है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मौजा के सौलह आना रैयतों का राय जानने के लिए नोटिश निर्गत करने का आदेश किया है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश में हस्तक्षेप करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलकर्ता का अपील आवेदन प्रविष्टि बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त
गोड्डा।


उपायुक्त
गोड्डा।